



13.11.19

पत्रावली पेश हुई। वकील जपी एजिंश वकील जफरी
द्वारा प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं करना



आहिर किया। प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया। चूंकि जल्दी
वकील प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रकरण में इसी स्तर पर
कार्रवाई खारिज की जाती है। जिसमें फ़ैसल शुमार होकर नंबर से
कम की जाकर दायित्व दण्ड ले।


अखण्ड अधिकारी
बनारस (अजमेर)

